श्री अमय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–16.06.2014 को तुरकौलिया प्रखण्ड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालयों का औचक निरीक्षण टिप्पणी ।

दिनांक–16.06.2014 को 03:45 बजे अपराह्न तुरकौलिया प्रखंड, अंचल एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्नवत् है :–

A. प्रखंड कार्यालय

1. माननीय उच्च न्यायालय संबंधी वाद

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रखंड में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

2. स्थापना

इन्दिरा आवास सहायक के पद पर कतिपय कर्मी योगदान किये है, परन्तु अभी भी कुछ पद रिक्त बताया गया। **उप विकास आयुक्त समीक्षा कर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।**

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त)

3. लोक सूचनाओं का अधिकार अधिनियम

लोक सूचनाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

क्रम	विषय	संबंधित कार्यालय का नाम	Expired	लंबित	अभ्युक्ति
1.	एल0पी0सी0	अंचल कार्यालय	02	31	सूची संलग्न
2.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	प्रखंड कार्यालय	07	41	सूची संलग्न
3.	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	प्रखंड कार्यालय	81	01	सूची संलग्न
4.	विभिन्न प्रकार के पेंशन	प्रखंड कार्यालय	25	43	सूची संलग्न

अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी लंबित मामलों का निष्पादन अविलम्ब करते हुए अनुपालन संसूचित करेंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी)

4. जन शिकायत पंजी

जन शिकायत पंजी का अवलोकन किया गया। इस प्रखंड में जिला स्तरीय एवं अनुमंडल स्तरीय यह पंजी संधारित है, परन्तु वह अद्यतन नहीं किया गया है। इसके लिए संबंधित सहायक श्री सुखाड़ी राम, जनसेवक द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता का परिचायक है। अतः श्री राम, जनसेवक को

भविष्य के लिए चेतावनी संसूचित करते हुए निदेश दिया जाता है कि **इस संबंध में जिला स्तर से विभिन्न पंजियों के संधारण के संबंध में निर्गत आदेश के अनुरूप निम्न पंजियों का संधारण करना सुनिश्चित करें।**

प्रखंड स्तर पर निम्नवत् पंजियों का संधारण विधिवत् किया जाय :–

(क) मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(ख) मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं विभागीय सचिव से प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(ग) जिला जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी के जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों से संबंधित।

प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे तथा अनुपालन संसूचित करेंगे।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

5. **रोकड़ बही**

रोकड़ बही के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह अद्यतन नहीं है एवं उनके द्वारा दिनांक–02.06.2014 को प्रभार लिया गया है और रोकड़ बही का अद्यतीकरण जारी है। इसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। उपर्युक्त संदर्भ में निदेशित किया जाता है कि **दिनांक–21.06.2014 तक अगर रोकड़ बही अद्यतन नहीं किया जाता है तो संबंधित नाजीर के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला स्थापना शाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।**

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

6. **उपस्थिति पंजी**

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री सत्य रंजन दास, प्रधान लिपिक, कृषि, जनवरी, 2014 से ही अनुपस्थित हैं। इसी तरह श्री ओम प्रकाश चौबे, पंचायत सचिव भी अनुपस्थित पाये गये। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दोनों कर्मी निलंबित हैं और अधिकांश अनुपस्थित रहते हैं।

उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी श्री सत्य रंजन दास, प्रधान लिपिक, कृषि का सेवा इतिहास एवं उनके निलंबन से संबंधित संचिका के साथ अधोहस्ताक्षरी से अविलम्ब सम्पर्क करें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश चौबे, पंचायत सचिव का सेवा इतिहास एवं उनके निलंबन से संबंधित संचिका अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित करें। यदि उपर्युक्त दोनों कर्मी निलंबित हैं तो पुनः उनके विरूद्ध प्रपत्र–"क" गठित किया जाय।

(अनुपालन–जिला पंचायत राज पदा0/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)/जिला कृषि पदाधिकारी)

B. अंचल कार्यालय

1. **रोकड़ बही**

रोकड़ बही के संदर्भ में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 28 जून, 2014 को प्रपत्र–202 में प्रभार लिया गया। श्री संजय कुमार, अंचल नाजीर द्वारा माह–फरवरी, 2014 से अब तक अंचल कार्यालय का रोकड़ बही अद्यतन नहीं किया गया है, जबकि इसके लिए अंचलाधिकारी के **पत्रांक–285 दिनांक–04.06.2014** के द्वारा अंचल नाजीर को स्मारित भी किया गया। इसके बावजूद अंचल नाजीर द्वारा रोकड़ बही अद्यतन नहीं किया गया।

रोकड़ बही का संधारण नियमित रूप से किया जाना है, परन्तु इतनी लंबी अवधि तक अंचल नाजीर द्वारा रोकड़ बही को अद्यतन नहीं करना सन्देहास्पद एवं वित्तीय अनियतिता के घोर उल्लंघन का मामला बनता है। इतना ही नहीं उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में यह पाया गया कि श्री संजय कुमार, नाजीर अन्य दिनों की भाँति औचक निरीक्षण की तिथि–16.06.2014 को भी विलंब से कार्यालय में उपस्थित हुए, जो इनकी स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

अतः प्रथम दृष्टया **श्री संजय कुमार, नाजीर, तुरकौलिया अंचल को दोषी पाते हुए उन्हें तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अरेराज अनुमंडल होगा। जिला गोपनीय शाखा निलंबन आदेश निर्गत करें।**

(अनुपालन–जिला गोपनीय शाखा)

2. उपस्थिति पंजी

उपस्थिति पंजी की जॉच के क्रम में पाया गया कि श्री अम्बिका पंडित, लिपिक, तुरकौलिया अंचल बिना पूर्वानुमति एवं अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं। यह काफी खेदजनक एवं उनकी स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। इसी तरह श्री ललित साहू, अंचल अमीन औचक निरीक्षण की तिथि–16.06.2014 के पूर्व ही दिनांक–17.06.2014 की तिथि में अग्रिम उपस्थिति दर्ज किये हैं। इनका यह कृत्य निन्दनीय एवं संदेहास्पद है।

अंचलाधिकारी उपर्युक्त दोनों कर्मियों से 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों नहीं उनके वेतन का भुगतान स्थगित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। दोनों कर्मियों के स्पष्टीकरण पर अविलम्ब अपना मंतव्य संसूचित करेंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी)

3. माननीय उच्च न्यायालय का वाद

इससे संबंधित पंजी अंचल कार्यालय में संधारित है, परन्तु यह विहित प्रपत्र में संधारित नहीं किया गया है, जिससे माननीय न्यायालय में तथ्य विवरणी कब तक दायर करना है, स्पष्ट नहीं हो सका।

इस परिपेक्ष्य में प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि **शीघ्र विहित प्रपत्र में पंजी का संधारण करना सुनिश्चित करें।**

(अनुपालन–अंचलाधिकारी/प्रधान लिपिक)

4. जन शिकायत पंजी

जन शिकायत पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि यह पंजी ठीक से संधारित नहीं है। निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में जिला स्तर से विभिन्न पंजियों के संधारण के संबंध में निर्गत आदेश के अनुरूप निम्न पंजियों का संधारण विधिवत् करना सुनिश्चित किया जाय :–

(क) मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मुख्यमंत्री जनता दरबार से प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(ख) मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं विभागीय सचिव से प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(ग) जिला जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों से संबंधित।
(घ) अंचलाधिकारी के जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों से संबंधित।

अंचलाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा अनुपालन संसूचित करेंगे।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी)

C. बाल विकास परियोजना कार्यालय

1. **उपस्थिति पंजी**

औचक निरीक्षण के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तुरकौलिया एवं प्रधान लिपिक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। यह काफी खेदजनक एवं उनकी स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

अतः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 को निदेश दिया जाता है कि **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तुरकौलिया एवं उनके प्रधान सहायक के एक दिन के वेतन का भुगतान स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाय।**

(अनुपालन- कार्यक्रम पदा० आई०सी०डी०एस०)

D. मनरेगा कार्यालय

1. **उपस्थिति पंजी**

उपस्थिति पंजी की जाँच के क्रम में पाया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। इतना ही नहीं मनरेगा कार्यालय में कोई कर्मी उपस्थित नहीं थे।

उप विकास आयुक्त कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, तुरकौलिया एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन एवं कार्रवाई एक सप्ताह के अन्दर कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त)

18/6

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 1182 /गो0
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, दिनांक 19 वीं जून 2014

प्रतिलिपि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्ता/उप विकास आयुक्त/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र)/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।